न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

12.05.2026

नियमित जमानत आवेदन संख्या 830 / 2026

आवेदक **टुनटुन मंडल एवं टीपू मंडल उर्फ टीपल मंडल** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक दिनांक 03.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक को **बरियारपुर थाना काण्ड संख्या 53 / 2026 अन्तर्गत धारा 126 (2), 115 (2), 109 (1), 352, 3(5) बी0एन0एस0** के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपेश कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक रामबचन कुमार, पेसर– श्री दिलीप मंडल, साकिन– ब्रहमस्थान दिवानी टोला, थाना– बरियारपुर, जिला– मुंगेर का स्थाई निवासी हूँ। दिनांक 02.04.2026 को समय लगभग 09:00 बजे रात्रि में 1. बिनेश्वर मंडल 2. टुन्ना मंडल 3. टिपु मंडल तीनों का पिता स्व0 बालो मंडल 4. इन्दु देवी, पति– बिनेश्वर मंडल सभी साकिन– ब्रहमस्थान दिवानी टोला, थाना– बरियारपुर, जिला– मुंगेर सभी मिलकर एकमत होकर लाठी डंडा एवं लोहे का रड़ लेकर सूचक के घर पर आये और गाली गलौज करते हुए तावर तोड़ लाठी डंड़ा, लोहे का रड़ से मारपीट करने लगा। लोहे के रड़ से जान मारने की नियत से सूचक के साथ ताबर तोड़ मारपीट किया और मार कर सूचक का सिर फोड़ दिया मार मार कर सूचक को जमीन पर गिरा दिया, जब सूचक के पिताजी दिलीप मंडल आये और सूचक को बचाने लगे तो सूचक के पिता को भी उपरोक्त सभी अभियुक्तगण मिलकर जान मारने के नियत से ताबर तोड़ लाठी डंडा तथा लोहे के रड़ से मारपीट कर जख्मी कर दिया एवं सिर फोड़ दिया। बरियारपुर सरकारी अस्पताल में ईलाज करा कर आवेदन दे रहे है।

12.05.26

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण का इसके पूर्व श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दायर नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 03.04.2026 से काराधीन है। आवेदकगण के विरूद्ध धारा 126 (2), 115 (2), 109 (1), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत केश दर्ज किया गया है। जिसमें धारा 109 (2) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। आवेदकगण एवं सूचक आपस में सहोदर भाई है। आवेदक टुनटुन मंडल के द्वारा भी बरियारपुर थाना कांड संख्या 54 / 26 सूचक एवं उसके परिवारवालों के विरूद्ध धारा 126 (2), 115 (2), 109 (1), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो पलटा वाद है। आवेदकगण के केश से बचने वास्ते उपरोक्त वाद लाया गया है। आवेदकगण अत्यन्त ही गरीब है। आवेदकगण

लगातार

12.05.2026 खेती–गृहस्थी एवं मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। आवेदकगण को जमानत मिलने पर कभी भी फरार नहीं होंगे तथा माननीय न्यायालय के आदेश को सदैव पालन करते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में, किसी भी जमानत पर उसे नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दिनांक 03.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण एवं सूचक आपस में सहोदर भाई है। आवेदकगण अत्यंत गरीब है और अपना गुजारा खेती, गृहस्थी एवं मजदूरी करके करते है। जख्म प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट है कि जख्म सामान्य प्रकृति का है तथा ऐसा जख्म नहीं है, जिससे जख्मी की मृत्यु कारित हो सके। अभियुक्तगण की ओर से भी इसी घटना को लेकर के काउंटर केस दर्ज कराया गया है। अतः उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि देखने के पश्चात् न्यायालय अभियुक्तगण को नियमित जमानत आवेदन प्रदान करना उचित समझती है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ देना उचित समझती है। अतः, आवेदक अभियुक्तगण को 10,000/– रूपये के 02 प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर निम्न शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान किया जाता है।

(1) एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।

(2) अभियुक्त धारा 480 (3) बी0 एन0 एस0 एस0 शर्तों के अनुसार अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे।

(3) प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
12.05.2026